

बिहार सरकार  
वित्त विभाग  
अविधुयता

12-12-09

भारत-संविधान के अनुच्छेद-309 के परंतुक के अधीन प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए  
के राज्यपाल बिहार सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 1948 का संशोधन के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते  
30 JAN 2010 बिहार सामान्य भविष्य निधि (संशोधन) नियमावली, 2009

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं आरम्भ

(i) यह नियमावली बिहार सामान्य भविष्य निधि (संशोधन) नियमावली, 2009  
केही जा सकेगी।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा

(iii) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

2. बिहार सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 1948 के नियम 17 (ग)(7) में निम्नलिखित परन्तुक

जोड़ा जाएगा:-

“परन्तु जहाँ भविष्य निधि लेखा से अन्तिम निकासी का प्राधिकार-पत्र जिला भविष्य निधि कार्यालय  
से निर्गत होता है, वैसे मामले में योजना के अधीन अतिरिक्त लाभ का भुगतान सम्बन्धित जिला भविष्य निधि  
पदाधिकारी द्वारा अन्तिम निकासी के प्राधिकार-पत्र के साथ प्राधिकृत किया जायेगा।”

बिहार के राज्यपाल के आदेश

ह0/-

(रवि नन्दन सहाय)  
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-एफ02-50/2000/

/वि0(2) पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

(रवि नन्दन सहाय)  
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-एफ02-50/2000/

/वि0(2) पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:-सरकार के सभी विभाग, सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु  
प्रेषित।

ह0/-

(रवि नन्दन सहाय)  
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-एफ02-50/2000/

12161

/वि0(2) पटना, दिनांक

21/12/09

प्रतिलिपि:-सभी प्रमुख आयुक्त, सभी जिला पदाधिकारी, संयुक्त आयुक्त, लेखा प्रशासन, मुख्य  
लेखा नियंत्रक वित्त (अंकेक्षण) विभाग, सभी उप विकास आयुक्त, सभी जिला भविष्य निधि पदाधिकारी/सभी कोषागार  
पदाधिकारी/सभी उप कोषागार पदाधिकारी, वित्त विभाग के सभी पदाधिकारियों/कर्मचारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक  
कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(रवि नन्दन सहाय)  
सरकार के संयुक्त सचिव।

21/12

Government of Bihar  
Finance Department

Notification

Notification No. B-2-50/2009..... 12161 F(2) In exercise of powers conferred under proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar hereby makes the following rule the amending the Bihar General Provident Fund Rules 1948.

Bihar General Provident Fund ( Amendment) Rules- 2009

1. **Short title, extent and commencement**
- (1) These rules may be called the Bihar General Provident Fund (Amendment) Rules- 2009.
  - (2) It shall extend to whole of the State of Bihar.
  - (3) It shall come into force at once.
- (2) It following proviso shall be added to Rule 17(c)(7) of the Bihar General provident Fund Rules- 1948 :-

"Provided that where the authority letter is issued by the District Provident Fund Office for final withdrawal from the General Provident Fund Account, in such case the payment of additional benefit under the scheme shall be authorized alongwith the authority of final withdrawal by the concerned District Provident Fund Officer."

By the order of Governor of Bihar

( Ravi Nandan Sahay )

Joint Secretary to the Government  
/ Patna, dated

Memo No. F2-50/2000

Copy forwarded to Accountant General, Bihar, Patna/ Ranchi for information.

( Ravi Nandan Sahay )

Joint Secretary to the Government  
/ Patna, dated

Memo No. F2-50/2000

Copy forwarded to All Government Department/ Heads of the Departments for information and necessary action.

( Ravi Nandan Sahay )

Joint Secretary to the Government

Memo No. F2-50/2000 12161 F(2) / Patna, dated 22-12-09  
Copy forwarded to all Divisional Commissioners/ All District Magistrate/ Joint Commissioner/ Accounts Administration/ Directorate of GPF/ Chief Controller of Accounts, Finance (Audit) Deptt./ All District Provident Fund Officer/ All Treasury Officer/ All Sub-treasury Officer/ All Officers and employees of Finance Department, Govt. of Bihar for information and necessary action.

( Ravi Nandan Sahay )

Joint Secretary to the Government

रियाँ पते खाती है ।

(क) स: .....

गृहम् आगच्छति ।

( अस्माकं, हिमालयात्, परोपकाराय, विद्यालयात्, रामस्य )